



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2018/ज्येष्ठ 18, 1940

No. 386]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2018/JYAISTHA 18, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2018

सं. 51/2018-सीमा-शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 534(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के उपवाक्य (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 61/94 (गै.टे.)-सीमा-शुल्क, दिनांक 21 नवंबर, 1994, जिसे का.आ. 828(अ) दिनांक 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, गुजरात राज्य से संबंधित क्रम सं. 6 के समक्ष, मद (ख) और उसे संबंधित प्रविष्टियों के समक्ष, कॉलम (3) और (4) में क्रमशः निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

क्रम सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	वायु पत्तन	उद्देश्य
1	2	3	4
		“(ग) सूरत	यात्रि सामान की उतराई और यात्रि सामान की लदाई”

2. उक्त अधिसूचना में, उपर्युक्त संशोधन प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. 520/01/2017-सीमा-शुल्क -VI]

बी. कौथोजम, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 61/94 (गै.टे.)-सीमाशुल्क, दिनांक 21 नवंबर, 1994 को का.आ. सं. 828(अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 21/2018- सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 19 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 240(अ), दिनांक 19 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2018

No. 51 /2018-Customs (N.T.)

G.S.R. 534(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1), read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 61/94(NT)-CUSTOMS dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21st November, 1994, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 6 relating to the State of Gujarat, after item (b) and the entries relating thereto, in columns (3) and (4), the following item and the entries shall respectively be inserted, namely:—

Sl. No.	State/ Union Territory	Airport	Purpose
1	2	3	4
		“(c) Surat	Unloading of baggage and the loading of baggage”

2. In the said notification, the aforesaid amendment shall be effective from the date of publication.

[F. No. 520/01/2017-Cus-VI]

B. KONTHOUJAM, Under Secy.

Note : The principal notification No.61/94(NT)-CUSTOMS, dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 828(E), dated the 21st November, 1994 and last amended by notification number 21/2018-Customs (N.T.) dated the 19th March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 240(E), dated the 19th March, 2018.